मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
भोपाल

क्रमांक 39 //1048/बी-08/चार/2011 दिनांक 09.02.2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
मध्य प्रदेश.

विषय : - मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी, 2010 के अन्तर्गत शास्ति की राशि की प्राप्ति एवं प्रतिकर की राशि के भुगतान के निर्देश।
संदर्भ : - वित्त विभाग का समसंख्यक ज्ञाप क्रमांक एवं दिनांक 26/11/2010

---- 00 ----

राज्य शासन द्वारा **मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010** अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार अधिसूचित सेवा प्राप्त करने के लिये पात्र व्यक्ति को पदाभिहित अधिकारी द्वारा निश्चित की गई समय सीमा में सेवा उपलब्ध कराई जाना अनिवार्य है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बने नियम **मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली तथा प्रतिकर का भुगतान) नियम, 2010 के** अन्तर्गत शास्ति की राशि की प्राप्ति एवं प्रतिकर की राशि के भुगतान के संबंध में संदर्भित ज्ञापन द्वारा जारी निर्देश को अधिक्रमित करते हुये निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं : -

(1) संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी के शास्ति अधिरोपित करने बाबत् आदेश की प्रति प्राप्त होने पर पदाभिहित अधिकारी अथवा प्रथम अपील अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, के उक्त आदेश प्राप्त होने के पश्चात के प्रथम वेतन से शास्ति की राशि की वसूली करेगा, तथा उक्त राशि मुख्य शीर्ष 0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, उप मुख्य शीर्ष (60)-अन्य सेवाएं, लघु शीर्ष (800)-अन्य प्राप्तियां, योजना (1066)-लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियां मद में जमा करायेगा एवं चालान की प्रति द्वितीय अपील प्राधिकारी को भेजेगा। कोषालय का प्रभारी अधिकारी, उक्तानुसार चालान की प्रति अनुवर्ती माह के वेतन देयक के साथ संलग्न न होने पर वेतन देयक को अपूर्ण मानते हुये उसे अग्राह्य कर सकेगा।

(2) यदि अधिरोपित शास्ति की राशि पदाभिहित अधिकारी अथवा प्रथम अपील अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, के कुल मासिक वेतन के 1/3 भाग से अधिक हो, तो वेतन के 1/3 भाग तक वसूली ही किसी माह के वेतन देयक से की जायेगी। इसके उपरान्त अनुवर्ती वेतन देयकों से उसी अनुपात में वसूली तब तक की जाती रहेगी, जब तक पूर्ण राशि वसूल नहीं हो जाती।

(3) द्वितीय अपील प्राधिकारी के प्रतिकर भुगतान आदेश के अनुसार राशि का भुगतान आवेदक को ऐसे आदेश के 30 दिवस के भीतर संबंधित जिले के कलेक्टर कार्यालय के आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा किया जाना होगा। अतः प्रत्येक मामले में द्वितीय अपील प्राधिकारी के प्रतिकर भुगतान आदेश जारी करने के पश्चात जिले के कलेक्टर को पूर्ण विवरण सहित राशि भुगतान के प्रस्ताव भेजे जाने होंगे। ऐसे समस्त आदेश के विरुद्ध आहरण कलेक्टर कार्यालय के आहरण एवं

संवितरण अधिकारी द्वारा किया जाकर भुगतान किया जावेगा। प्रतिकर की राशि के भुगतान का व्यय कलेक्टर कार्यालय के लिये उपलब्ध बजट मांग संख्या-08, मुख्यशीर्ष-2053, लघुशीर्ष-093 के अन्तर्गत योजना (6286)-लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिकर की राशि का भुगतान, उद्देश्य शीर्ष # 50-प्रतिकर का भुगतान के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी. पी. सिंघल)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक : 40/ 1048/ब-8/चार भोपाल, दिनांक 9/2/2011

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशन के लिए,
18. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
19. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
20. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
21. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
22. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
24. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
25. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
26. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित।

(आदर्श मोहन पुराहित)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग